


प्रतिलिपी -


- (1) आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि नीलामी दिनांक को उपस्थिति होने/प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।
- (2) संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद की ओर भेजकर निवेदन है कि निर्धारित तिथि को उपस्थित होने की कृपा करें।
- (3) संयुक्त संचालक उद्यान पचमढी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) सहायक संचालक उद्यान पचमढी की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त दिनांक को उपस्थित होने का कष्ट करें।
- (5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिपरिया नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- (6) तहसीलदार/नगरपालिका पिपरिया नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- (7) सरपंच ग्राम पंचायत.....नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- (8) कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- (9) फल व्यापारी समस्त की ओर सूचनार्थ।

संलग्न - नीलामी की शर्तें


सहायक संचालक उद्यान
सिलारी(पिपरिया)
जिला-होशंगाबाद(म०प्र०)

फलबहार नीलामी की आवश्यक शर्तें

1. प्रत्येक व्यापारी से अनुरोध है की नीलामी के पूर्व फलबहार का अवलोकन कर लें।
2. नीलामी के पूर्व/निविदाकर्त्ता को धरोहर राशि नगद सहायक संचालक उद्यान सिलारी कार्यालय में जमा करना होगा। उसके बाद ही बोली/निविदा मान्य की जावेगी। निविदा फार्म सहायक संचालक उद्यान सिलारी कार्यालय से **10 रूपये** नगद जमा कर प्राप्त करें।
3. उच्च निविदाकर्त्ता को एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।
4. उच्च एवं द्वितीय बोली/निविदाकर्त्ता को छोड़कर शेष असफल बोली/निविदाकर्त्ताओं की धरोहर राशि नीलामी के उपरांत वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्च बोली/निविदाओं द्वारा राशि जमा न करने पर जमानत लेने वाले को नीलामी राशि जमा करनी होगी।
6. उच्च बोली/निविदाकर्त्ता को धरोहर राशि अंतिम किस्त में समायोजित की जावेगी।
7. नीलामी समाप्त होने के बाद उच्च बोली/निविदाकर्त्ता को नीलामी की राशि की एक तिहाई राशि 24 घण्टे के अंदर जमा करनी होगी तभी बोली/निविदा मान्य की जावेगी। अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन एवं समय मान्य नहीं होगा। बोली/निविदा की शेष राशि फल तोड़ने से पूर्व दो किस्तों में जमा करना होगी तभी फल तोड़ने की अनुमति दी जावेगी।
8. उच्च बोली/निविदाकर्त्ता एक तिहाई राशि 24 घण्टें में जमा नहीं करते हैं तो द्वितीय बोली/निविदाकर्त्ता की नीलामी मान्य करने की कार्यवाही की जावेगी। तथा द्वितीय बोली/निविदाकर्त्ता की धरोहर राशि वापिस व जमा पर विचार किया जावेगा।
9. फलबहार नीलामी के पश्चात प्राकृतिक आपदा से हानि को मान्य नहीं किया जावेगा। नीलामी के बाद फलों की सुरक्षा क्रेता को स्वयं करना होगी। शासन/विभाग की इसमें कोई जावाबदारी नहीं होगी।
10. पूर्व में क्रेता के ऊपर यदि नीलामी की राशि जमा करने हेतु शेष है तो ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे ऐसा पायें जाने की स्थिति में उन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. उद्यान में फल तोड़ते समय प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन सहायक संचालक उद्यान सिलारी के कार्यालय में इन्द्राज कराना होगा।
12. उद्यान के पौधो एवं अन्य फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिये अन्यथा नुकसान की भरपाई क्रेता को राजस्व वसूली के रूप में जमा करना होगी।
13. विभागीय प्रदर्शनी आदि के लिये किस्मवार, आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार प्रादर्श के रूप में अच्छे फल शासन को निशुल्क देने होंगे।
14. उद्यान पर अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा जिन पर सहायक संचालक उद्यान सिलारी को आपत्ति हो।
15. फलो की स्थानीय मांग की पूर्ति करने हेतु क्रेता को स्थानीय विक्रय क्रेन्द्र स्थापित करना आवश्यक होगा।
16. उच्च बोली/निविदाकर्त्ता को फल तोड़कर बगीचा खाली करने की अंतिम तिथि आम कलमी हेतु **30.06.2016** रहेगी। उसके बाद फल नहीं तोड़ने दिये जावेंगे।
17. नीलामी/निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सहायक संचालक उद्यान सिलारी (पिपरिया) अथवा गठित समिति के अधीन सुरक्षित होगा।
18. निविदा की राशि को बगैर कारण बताये निविदा निरस्त करना तथा विवाद की स्थिति के अंतिम निर्णय करने का अधिकार संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म0प्र0 भोपाल के अधीन होगा।
19. समस्त निविदाकर्त्ताओ को निविदा के साथ स्थाई निवास एवं पहचान पत्र के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
20. सीलबंद निविदाओ में पर्याप्त राशि नहीं आने पर उसी दिन खुली बोली से नीलामी की जावेगी।


सहायक संचालक उद्यान
सिलारी(पिपरिया)